प्रेषक

जिला समाज कल्याण अधिकारी–कम–
राज्य नोडल अधिकारी (दिव्यांगजन छात्रवृति)
पंचकूला।

प्रेषित

सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य मे।

क्रमांक 817 – 38 दिनांक 02/09/2024.

विषयः– Implementation of Pre-Matric, Post Matric and Top-Class based Scholarship Schemes for disabilities through National Scholarship Portal (NSP) in 2024-25 reg.

****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे जैसे कि आपको विदित है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए क्रमंशः प्री मैट्रिक, पोस्टमैट्रिक तथा टोप क्लास चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दिव्यांग छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए आवेदन करने हेतू पोर्टल शुरु कर दिया गया है जिसकी पोस्ट मैट्रिक तथा टोप क्लास योजना के तहत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.10.2024 है। प्री मैट्रिक योजना के तहत आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.08.2024 थी जिसे बढाकर 31.09.2024 कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जिला स्तर पर उचित प्रचार व प्रसार करवाये ताकि कोई भी योग्य दिव्यांग छात्र उपरोक्त योजनाओ से वंचित ना रहे। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से सभी शिक्षण संस्थानों/स्कूलों को निर्देश दिलवायें कि वह शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे जिन दिव्यांग छात्रों द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (www.scholarship.gov.in) पर आवेदन नहीं किया है। उन छात्रों से शीघ्र अति शीघ्र ऑनलाईन आवेदन करवायें जिससे दिव्यांग छात्रों को छात्रवृति का लाभ मिल सके। उपरोक्त सभी योजनाओ बारे विस्तृत जानकारी **DEPwD** की वैबसाइट www.depwd.gov.in पर उपलब्ध हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी–कम–
राज्य नोडल अधिकारी (दिव्यांगजन छात्रवृति)
पंचकूला।